संख्या-162/2018/2179/26-3-2018

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई 2018

विषयः-निक्सी के माध्यम से कार्यरत् 03 आफिस असिस्टेंटों का 03 माह (01.07.2018 से 30.09.2018 तक) की देयता के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1088/स0क0//शिक्षा-अ/01/आउटसोर्सिंग/2018-19, दिनांक-26.06.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निक्सी के माध्यम से निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यरत् 03 आफिस असिस्टेंटों को दिनांक-01.07.2018 से 3;.09.2018 तक का पारिश्रमिक भुगतान रू0-348459/- (रू0 तीन लाख अडतालिस हजार चार सौ उनसठ मात्र) निक्सी को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की अनुमति, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-01-789-13-विभिन्न मदों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण-42-अन्य व्यय मानक मद में प्राविधानित धनराशि, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखी जा चुकी है, से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1)- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2)- विभाग द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन 31 मार्च 2019 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये पत्रावली वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(3)- किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

भवदीय

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव।

पृ.संख्या-162/2018/2179(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।